

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

101 / 2017
07.11.2017

श्योजी पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी खेडली तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उनियारा
दिनांक 25.09.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 08.08.2018.

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 25.09.2017 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 568 रकबा 0.10 है० किस्म गै०मु० रास्ता वाके ग्राम खेडली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल अपीलांट पर नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा दूर्भावना पूर्वक अपीलांट के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है, जबकि निर्णय में इस तथ्य को कोई हवाला नहीं है। अपीलाण्ट ने कब्जा हटाने व भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।




जिला कलेक्टर
टोंक


अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्त की विधिवत तामिल हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी राजकीय भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्त द्वारा ग्राम खेडली के खसरा नम्बर 568 रकबा 0.10 है 0 भूमि पर उडद की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का के बयान से सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। तहसीलदार उनियारा ने उनके पत्र क्रमांक 212 दिनांक 08.05.2018 से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 568 में वर्तमान में अपीलान्त द्वारा कोई काश्त नहीं की गई है, जमीन खाली पड़ी हुई है। अपीलान्त ने शपथ पत्र पेश किया है कि मेरा उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, उक्त जमीन पर कोई कच्चा-पक्का निर्माण नहीं है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करूँगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.09.2017 द्वारा अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलान्त द्वारा शास्ती राजकोष में जमा करादी है तथा अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। तहसीलदार उनियारा यह सुनिश्चित करले की अपीलान्त का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्त अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(आर.सी. डेनवाल)
जिला कलेक्टर, दोहद
जिला कलेक्टर
दोहद